संख्या-139/2024/I/530556/2024/23-11099(099)/91/2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 28/03/2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न जनपदों के रेल उपरिगामी सेतुओं के 28 चालू कार्यो पर अवमुक्त की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि के लैप्स हो जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुन: आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1107/सामान्य-सेतु-31/2023-24, दिनांक 27-03-2024 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-174/2023/1079ई/23-11-2023/001-539ई-2023, दिनांक 07-06-2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतु योजनान्तर्गत स्वीकृत अधोलिखित तालिका में उल्लिखित विभिन्न जनपद के कुल 28 चालू कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि, जो कोषागार से समयान्तर्गत आहरित न हो पाने के कारण लैप्स हो गयी है, के सापेक्ष अवशेष 20 प्रतिशत धनराशि कुल रू0 1248.70 लाख (रूपये बारह करोड़ अड़तालिस लाख सत्तर हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुन: अवमुक्त किए जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	शा0सं0-135/2023/708ई/23-11-2023/001-539ई-2023, दि0 29-03-2023 द्वारा वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि, जो वर्ष 2022-23 में लैप्स हो गयी	वर्ष 2022-23 में लैप्स जी0एस0टी0 की धनराशि के सापेक्ष शा0सं0-174/2023/1079ई/23-11-2023/001-539ई-2023, दिनांक 07-06-2023 द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि	वर्ष 2022-23 में लैप्स जी0एस0टी0 की धनराशि के सापेक्ष देय अवशेष जी0एस0टी0 की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुन: अवमुक्त धनराशि		
						अनु0-57	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद-लोनी मार्ग पर बन्थला के पास दिल्ली शामली सहारनपुर सेक्शन के किमी 8/3-4 पर नौली स्टेशन के निकट क्रासिंग सं0-8ए स्पे0 के स्थान पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	5834.53 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	75.58	60.46	15.12	11.91	3.21	15.12
2	जनपद सहारनपुर में डीएफसीसी रुट के अन्तर्गत उ0रे0 के मेरठ-सहारनपुर	2912.21 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	155.52	124.42	31.10	24.50	6.60	31.10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	रेल खण्ड के किमी 156/7-8 पर सम्पार सं0-75 निकट तल्हेड़ी बुजुर्ग रेलवे स्टेशन तल्हेड़ी मनोहरपुर मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।							
3	जनपद सहारनपुर में डीएफसीसी रुट के अन्तर्गत नागल नन्हेंड़ा पंडौली मार्ग एवं मेरठ सहारनपुर रेल सेक्शन के सम्पार संख्या-79 किमी 165/5-6 निकट नागल रेलवे स्टेशन पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	3108.90 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	159.95	127.96	31.99	25.20	6.79	31.99
4	जनपद सहारनपुर में डीएफसीसी रुट के अन्तर्गत अम्बाला-सहारनपुर रेल सेक्शन के सम्पार सं0-90ए लोकेशन 189/13-15 पटली-पिलखनी मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	2553.87 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	160.75	128.60	32.15	25.33	6.82	32.15
5	जनपद सहारनपुर में डीएफसीसी रुट के अन्तर्गत उ0रे0 के मेरठ-सहारनपुर रेल खण्ड के किमी 163/13-14 पर सम्पार सं0-78 निकट नागल रेलवे स्टेंशन देवबन्द-मीरापुर मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	3080.18 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	114.37	91.50	22.87	18.02	4.85	22.87
6	जनपद गौतमबुद्ध नगर में डीएफसीसी रुट के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा में गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के सम्पार सं0-144 किमी0 1409/01-03 निकट ग्राम रामगढ़ पर प्रस्तावित 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	5025.85 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	177.68	142.14	35.54	28.00	7.54	35.54
7	जनपद गौतमबुद्ध नगर में उ0म0रे0 के अन्तर्गत गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के किमी0 1412/11-13 के सम्पार संख्या-146 पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	19458.45 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	538.16	430.53	107.63	84.80	22.83	107.63
8	जनपद गौतमबुद्ध नगर मे डीएफसीसी रुट के अन्तर्गत ग्रेटर नोयडा के सम्पार सं0-145 के किमी 1409/01-03 निकट ग्राम बोडाकी गुज्जर पर प्रस्तावित रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	5975.49 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	152.67	122.14	30.53	24.05	6.48	30.53
9	जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में डीएफसीसी रुट के अन्तर्गत गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के समपार सं0-142 किमी0 1404/19-21 निकट ग्राम मायचा अजायब मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	4470.40 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	213.58	170.86	42.72	33.66	9.06	42.72
10	जनपद गौतमबुद्ध नगर के	4517.72 +	199.20	159.36	39.84	31.39	8.45	39.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	ग्रेटर नोयडा में डीएफ सीसी रुट के अन्तर्गत गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के सम्पार सं0-143 किमी 1406/33-35 निकट ग्राम रायपुर-बांगड़-अजायबपुर मार्ग पर 02 लेन रेल उपरिगसमी सेतु का निर्माण।	जी0एस0टी0 नियमानुसार						
11	जनपद गौतमबुद्ध नगर मे डीएफसीसी रुट के अन्तर्गत गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के सम्पार सं0-141 किमी 1403/01-1403/11 निकट ग्राम मायचा पर रेल लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण।	5022.55 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	209.33	167.46	41.87	32.99	8.88	41.87
12	जनपद सहारनपुर में डीएफसीसी रुट के अन्तर्गत नागल सहारनपुर मार्ग शेखपुरा कदीम मार्ग सम्पार सं0 84 को बन्द करने हेतु उ0रे0 के सम्पार संख्या 84 एसपीएल से 200 मीटर टपरी की तरफ लाइन/नागल रजवाहे पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	2884.35 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	121.86	97.49	24.37	19.20	5.17	24.37
13	जनपद मुज्जफरनगर में डीएफसीसी रुट के अन्तर्गत मेरठ-सहारनपुर रेल सेक्शन के मध्य सित रेलवे सम्पार सं0-46 किमी0 104/47-8 (भैंसी-सरावा सड़क मार्ग) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	2536.32 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	141.16	112.93	28.23	22.24	5.99	28.23
14	जनपद कानपुर देहात में कानपुर-टून्डला रेल सेक्शन किमी 1062/11-13 (निकट रुरा रेलवे स्टेशन) के समपार संख्या-94बी अकबरपुर-रुरा-शिवली मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	4491.53 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	286.76	229.41	57.35	45.19	12.16	57.35
15	जनपद औरैया में कानपुर-इटावा रेल सेक्शन (डीएफसीसी रुट) के किमी0 1108/11-30 पर औरैया-विधुना मार्ग) पर सम्पार सं0-11बी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	6173.48 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	343.21	274.57	68.64	54.08	14.56	68.64
16	जनपद लखनऊ में लखनऊ नगराम मार्ग (प्र0जि0स0-91सी) के किमी 5-6 के मध्य स्थिति लखनऊ सुल्तानपुर रेल खण्ड में स्थित सम्पार सं0-200बी/ई-2 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	3769.90 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	193.14	154.51	38.63	30.44	8.19	38.63
17	जनपद कानपुर देहात में कानपुर-इटावा रेल सेक्शन (डीएफसीसी रुट) के किमी0 1081/1-3 पर स्थित सम्पार सं0-01बी पर	3833.32 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	223.27	178.62	44.65	35.18	9.47	44.65

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	रसूलाबाद-मंगलपुर मध्य के निकट झींझक पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।							
18	जनपद सीतापुर में सीतापुर लखीमपुर राज्य मार्ग सं0-21 पर मीटर गेज रेलवे सम्पार संख्या-99ए सीतापुर मैलानी सेक्शन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु।	5676.09 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	360.81	288.65	72.16	56.85	15.31	72.16
19	जनपद सीतापुर में सीतापुर-लखीमपुर राज्य मार्ग सं0-21 पर ब्राड गेज रेलवे सम्पार संख्या-73ए सीतापुर-लखीमपुर सेक्शन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	6258.62 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	427.32	341.86	85.46	67.33	18.13	85.46
20	जनपद सीतापुर में सीतापुर-लखीमपुर राज्य मार्ग सं0 21 पर ब्राड गेज सम्पार संख्या 91बी सीतापुर-बुढवल रेल सेक्शन पर 05 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण।	5443.76 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	448.63	358.90	89.73	70.70	19.03	89.73
21	जनपद आगरा में एनएच-2 (आशाराम बापू आश्रम के सामने) यूपीएसआईडीसी मार्ग पर आगरा-मथुरा रेलल सेक्शन के किमी 1354/23-25 के सम्पार संख्या 504 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	3996.00 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	260.40	208.32	52.08	41.03	11.05	52.08
22	जनपद मथुरा में छाता-बरसाना मार्ग पर आगरा पलवल रेल सेक्शन के कि0मी0 1429/4-6 के सम्पार संख्या 544ए पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	6464.22 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	220.94	176.75	44.19	34.82	9.37	44.19
23	जनपद पीलीभीत में पीलीभीत-बस्ती मार्ग के किमी 6 में लिपुलेक-भिण्ड मार्ग के किमी 372 तक पीलीभीत बाईपास के निर्माण में पीलीभीत-मैलानी रेल चेनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	2680.60 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	162.78	130.22	32.56	25.65	6.91	32.56
24	जनपद गौतमबुद्ध नगर में डीएफसीसी रुट के उ0म0रे0 के अन्तर्गत गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के किमी 1395/13-15 के सम्पार संख्या 138 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	6051.40 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	95.07	76.06	19.01	14.98	4.03	19.01
25	जनपद इलाहाबाद में नैनी रेलवे स्टेशन के समीप सम्पार संख्या-35बी पर दो लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण।	3973.38 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	178.77	143.02	35.75	28.17	7.58	35.75
26	जनपद प्रयागराज में उ0म0रे0 के अन्तर्गत मुगलसराय -इलाहाबाद रेल सेक्शन (डीएफसीसी रुट) के	4179.69 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	203.08	162.46	40.62	32.00	8.62	40.62

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	किमी 775/13-15 के ग्राम दिधिया के समीप मिर्जापुर-सिरसा मार्ग के सम्पार सं0 20सी पर रेल उपरिगामी सेतु।							
27	जनपद प्रयागराज में उ0म0 रेलवे के अन्तर्गत मुगलसराय-इलाहाबाद रेल सेक्शन (डीएफसीसी रुट) पर स्थित रेल सम्पार सं0 27सी (मीरपुर-मेजा मार्ग पर स्थित) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	4223.18 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	222.74	178.19	44.55	35.10	9.45	44.55
28	जनपद प्रयागराज में उ0म0 रेलवे के अन्तर्गत मुगलसराय इलाहाबाद रेल सेक्शन (डीएफसीसी रुट) पर स्थित रेल सम्पार संख्या 29बी (करछना-भीरपुर मार्ग पर स्थित) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	3779.89 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	196.79	157.43	39.36	31.01	8.35	39.36
		योगः-				**983.82**	**264.88**	**1248.70**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाय और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(2) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रदेश के कोषागारों में लागू चेक प्रणाली से भुगतान की पद्धति के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-1638/दस-99-10(28)/72, दिनांक 25.06.1999 एवं शासनादेश सं0-ए-1-1063/दस-87-10(28)/72, दिनांक 17.06.1989 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) उक्त कार्यो हेतु मांगी गयी जी0एस0टी0 की देयता के वास्तविक होने की पुष्टि मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा जी0एस0टी0 की अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से कार्य पर जितनी जी0एस0टी0 देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त कार्यो पर अवमुक्त की जा रही जी0एस0टी0 की धनराशि के भुगतान के सम्परीक्षित लेखा प्राप्त कर अभिलेखों में संरक्षित किये जायेगें।

(6) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल/पुनरीक्षित शासनादेशो की शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/ बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0 एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं संशोधन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष धनराशि लैप्स हो जाने के प्रकरण में दोषी सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

(12) शासनादेश संख्या-174/2023/ 1079ई/23-11-2023/001-539ई-2023, दिनांक 07-06-2023 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 9,83,82,000(रूपये नौ करोड़ तिरासी लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010516 रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 2,64,88,000(रूपये दो करोड़ चौसठ लाख अट्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 505404789 1500 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओ का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक यथोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in